

सापेक्ष नं. - 313

Date - 3/2/24

अनुसूची 21-अनुसूची 112

सम्पत्ति अन्वेषण-प्रमाणपत्र

प्रमाण पत्र सं. 303/24
पुस्तिका नं. 203/24
व्यक्ति का नाम Auther Meisvilk Realty Pvt Ltd, Dhond

संविदा के अन्तर्गत में विक्रय/आय/भूखंडों का और अन्वेषण का अधिकार प्राप्त किया गया।


(आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण में)

सम्पत्ति में शामिल वस्तु प्रमाणित करता है कि उक्त सम्पत्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करने और अन्वेषण के बारे में सभी विवरणों और उचित तथ्य अनुसंधानों से ता. 2012 to till date तक तथ्यांक प्राप्त नहीं और वे सभी तथ्यांक ही सार्वजनिक दस्तावेजों और अन्वेषणों का प्रमाणित करता है।

क्रम सं.	सूची संख्या का विवरण	विक्रय की तिथि	(2) आन्वेषण प्रत्यक्ष जो प्राप्त हुआ	सो डे नाम		अन्वेषण की तिथि के अनुसार		
				विक्रय	संख्या	दिनांक	व्यक्ति	पता

new plot no-12, Kothumbur, New plot no-342, Old
 plot no-142 & 122, New plot no-898, 899
 Old plot no-1272, 1273, Area - 16.50 Dumb -

auth



क) आवेदन के अनुसार विवरण दर्ज करें। Prof Jyoti Chatterjee
 ख) संपत्ति-पत्र की वस्तु में वस्तु की हर और गुणवत्ता को समझने दें। यदि, कि इनके बारे में वस्तुओं की
 ग) वस्तु की वस्तु में वस्तु की अधिक और सार्वजनिक दस्तावेज दर्ज करें।

यदि यह भी अज्ञात करता है कि उपरोक्त सत्यापन और अडवायर के लिए, कृपया तथ्य की प्रमाणित करने वाले विवरणों
अपने सत्यापन और अडवायर पर पता नहीं पता है।

निम्न स्थिति में तलाशी की और प्रमाणपत्र अंतर किया :

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(दस्तावेज) - *clive*

तलाशी पर सत्यापन और प्रमाणपत्र की गैर निम्न स्थितियों में की

(हस्ताक्षर) - *[Signature]*

(दस्तावेज) - *clive*

कार्यालय *DIT sub Registrar all
Ahmedabad*

तारीख *3/4/24*



[Signature]
निम्नस्थ पदाधिकारी पर हस्ताक्षर

टिप्पणी - इस प्रमाणपत्र में जो संश्लेषण और अडवायर दिए गए हैं वे आवेदन प्राप्त तथा प्रमाणित दिखाने की अनुमति
अपने गये हैं। यदि आवेदन प्राप्त दिखे गये विवरण से निम्न विवरण देकर किसी अन्य जानकारी की निश्चित जानकारी
में दिखाया गया हो, तो वे भी दस्तावेजों से प्रमाणित सत्यापन (सत्यापन) पर प्रमाण पत्र में शामिल न किने जायेगी।

2) निम्नस्थ अधिनियम की धारा 27 के अधीन जो स्थिति बहिष्कृत और अनुपस्थिति (इन्वेस्ट) की प्रतिक्रिया देना पारो
हो, अथवा जो उच्च प्रतिनिधि लेगा धारते को अथवा निम्न विनिश्चित स्थितियों को अडवायर के प्रमाणपत्रों की कतल
हो, उन्हें तलाशी स्वयं करना होगा। शिक्षा कीस पर भुगतान करने पर बहिष्कृत और अनुपस्थिति उनके लगने तक ही
जायेगी।

क) किन्तु यदि वर्तमान मामले में आवेदन में स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए निर्णय में अपेक्षित तलाशी अपने पारो
सालधानी से की है। फिर भी विनाय प्रमाणपत्र में दिखे गये तलाशी परिणाम की विषयी भूत के लिए तलाशी की तरह
जिम्मेवार नहीं होगा।

3) और यदि वर्तमान मामले में आवेदन में अपेक्षित तलाशी स्वयं नहीं है और यदि उपरोक्त तथ्य सत्यापन और
अडवायर के सत्यापन के बाद प्रमाणपत्र में दिया गया है। इसलिए विनाय आवेदन के लिए न किने गये गये सत्यापन और
अडवायर की छूट के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त तथ्य पर प्रमाण पत्रा हो।

*Search by me
Raj Kumar Bhatia
3/4/24*